न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–14/2021 (2021/54) — दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. किशनलाल पुत्र स्व0 बदरीलाल शर्मा
2. श्यामलाल पुत्र स्व0 बदरीलाल शर्मा
3. देवीलाल पुत्र स्व0 बदरीलाल शर्मा
4. कंचनबाई पत्नि स्व0 बदरीलाल शर्मा
5. गोदाबाई पुत्री स्व0 बदरीलाल शर्मा
6. शांताबाई पुत्री स्व0 बदरीलाल शर्मा

सर्व निवासी आमली, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। ——प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल शर्मा
2. मांगीलाल पुत्र मोहनलाल शर्मा
3. रतनदेवी पत्नि मनोहरलाल महाजन
4. निर्मल पुत्र मनोहरलाल महाजन
5. सुरेश पुत्र मनोहरलाल महाजन
6. सुभाष पुत्र मनोहरलाल महाजन
7. लाडदेवी पुत्री मनोहरलाल महाजन
8. अर्जुनलाल पुत्र हरकलाल महाजन
9. शांतिलाल पुत्र हरकलाल महाजन
10. सज्जनबाई पत्नि लक्ष्मीलाल महाजन
11. बालचन्द पुत्र लक्ष्मीलाल महाजन
12. बसन्तीलाल पुत्र लक्ष्मीलाल महाजन
13. कैलाशचन्द्र पुत्र लक्ष्मीलाल महाजन
14. कमलाबाई पत्नि भंवरलाल ब्राह्मण
15. रोशनलाल पुत्र मोहनलाल महाजन
16. प्रकाश पुत्र मीठुलाल महाजन
17. पारस पुत्र मीठुलाल महाजन
18. शांता पुत्री नानूराम ब्राह्मण
19. किशनलाल पुत्र नानूराम ब्राह्मण
20. रामेश्वरलाल पुत्र नानूराम ब्राह्मण
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर। ——विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री विवेकानंद शर्मा

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय — दिनांक:–02.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस [illegible] है कि [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 19[illegible] प्रस्तुत कर ग्राम आमली नगर पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा [illegible] के खातेदारी अधिकार [illegible] काश्त की आराजी संख्या 228 रकबा 0.200 हे0, [illegible]जी संख्या 229 रकबा 0.[illegible] आराजी संख्या 205 रकबा 0.0400 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.540 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 523 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—14/2021 (2021/54)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7, 9, 11, 13, 14, 15 व 18, 19, 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 8, 10, 12, 16 व 17 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। विपक्षी संख्या 21 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नही देना चाहा अतः जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम आमली नगर पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 228 रकबा 0.200 हे0, आराजी संख्या 229 रकबा 0.300 हे0, आराजी संख्या 205 रकबा 0.0400 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.540 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 523 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 16:59:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner